न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 16/2016

परमजीत सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति छिम्पासिख निवासी चक 14 एस.पी.डी.तहसील श्रीविजयनगर

बनाम

तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री सर्वजीत छाबड़ा
2. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांकः 12.12.2017

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ दिनांक 26.02.2016 प्र.स. 50/2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।
2. अपील में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश में अतिक्रमी घोषित करते हुए 50 गुणा पेनल्टी राशि 1265 रूपये तावान कायम करते हुए, चक 14 एसपीडी के मुरब्बा न. 101/354 किला न. 16 ता 25 में कुल 2.530 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि पर काश्त फसल कुर्क करने के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।
3. यह है कि अपीलांट द्वारा वाके चक 14 एसपीडी के मुरब्बा न. 101/354 में 3.542 है0 भूमि पर काश्त करने पर अतिक्रमी माना है। जो पूर्णतया गलत है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट तैयार की गई है क्योंकि अपीलांट अपनी स्वयं की भूमि काश्त की है। अपीलांट का उक्त भूमि पर 1995 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है व नियमन की कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रखी है। यदि अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलांट को नापूरा होनें वाला नुकसान होगा तथा नियमन की कार्यवाही विफल हो जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 26.02.2016 को दर्ज की गई दिनांक 14.3.2016 को हाजिर होनें के लिए नोटिस जारी किया गया लेकिन कुर्क करनें का आदेश दिनांक 26.02.2016 को अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये, दे दिया जो विधि विपरीत होनें के कारण काबिल निरस्ती है।
4. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 17/16 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से श्री सर्वजीत छाबड़ा अधिवक्ता पेश हुए एवं राजपेरोकार उपस्थित आए।
5. अपीलांट द्वारा दिनांक 06.12.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपील में सहवन से स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीवियजनगर लिखा है, के गलत अंकन हो हटाकर स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ करवाना चाहता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली सूरतगढ़ तहसील से संबंधित होनें के कारण प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2017 स्वीकार किया जाता है।
6. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 26.02.2016 को दर्ज की गई दिनांक 14.3.2016 को हाजिर होनें के लिए नोटिस जारी किया गया लेकिन कुर्क करनें का आदेश दिनांक 26.02.2016 को बिना सुने, बिना नोटिस दिये एक ही दिन में कुर्की के आदेश दे दिये। हम दिनांक 26.02.2016 के आदेश के विरूद्व ही इस न्यायालय में आये है। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही समस्त कार्यवाही की गई है। उक्त रिपोर्ट भी रजिंशवंश की गई है। अपीलांट का उक्त भूमि पर 1995 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है व नियमन की कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रखी है। यदि अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलांट को नापूरा होनें वाला नुकसान होगा तथा नियमन की

Scanned by CamScanner

कार्यवाही विफल हो जायेगी। उक्त तमाम कार्यवाही नियम विरूद्ध की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। राज पैरोकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है। अपीलांट ने स्वयं दिनांक 14.03.2016 को उपस्थि होकर अपना अतिकमण स्वीकार किया है। अपीलांट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि अपीलांट ने स्वयं अतिकमण स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 14.03.2016 द्वारा होती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध पेश की है, जिसमें अपीलांट द्वारा काश्त फसल को कुर्क करने के आदेश दिये गये है, परन्तु अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमण कर राजकोष को हानि पहुचांई गई है। प्रकरण राजहित से संबंधित है। अतः तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 26.02.2016 व आदेश दिनांक 14.03.2016 यथावत् रखा जाता है। व आदेश दिनांक 14.03.2016 को लागू किया जाकर आगामी कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

12/12/17

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner